

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 20/06/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 20/06/2025 को अपराह्न 04:00 हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेन्द्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (पत्र दिनांक 23/09/2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामिती)
2. श्री सैबल रॉय, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा आयुक्तालय।
3. श्री दुर्गेश, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नौएडा।
4. श्री विनय कुमार, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नौएडा के प्रतिनिधि

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) किरण मोहन मोहादिकर, उप विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) रविकेश त्रिपाठी, निर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (iii) प्रमोद कुमार, स्टेनो-1 और (iv) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) दिनांक 09/06/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि 09/06/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही कोई आपत्ति थी। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इसका संज्ञान लिया और तदनुसार, 09/06/2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

सुरेंद्र मलिक

(2) जे एंड एस एक्सपोर्ट्स - स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

2.1. अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि इकाई के भागीदार श्री ध्रुव जालान से दिनांक 20/06/2025 को एक ईमेल प्राप्त हुआ है, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में वह यात्रा पर हैं और अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित होने में सक्षम नहीं हैं।

2.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई ने 2017-18 से कोई निर्यात नहीं किया है और स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण के प्रस्ताव में विभिन्न टिप्पणियाँ पाई गईं। अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि कानूनी राय के आधार पर, संपदा प्रभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों और उसके नियमों के साथ-साथ आवंटन पत्र (स्वीकृति पत्र (LOA)) की शर्तों और नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना अनुमति प्राप्त किए प्लॉट नंबर 01, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के हस्तांतरण के दस्तावेजों को निष्पादित और सार्वजनिक करने के लिए इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में है।

2.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव को स्थगित कर दिया और निर्देश दिया कि संपदा अनुभाग से एससीएन की स्थिति के साथ प्रस्ताव को अगली बैठक में रखा जाए।

(3) एच एंड एस इंडस्ट्रीज - साझेदारों में परिवर्तन और स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण।

3.1 फर्म के नए भागीदार श्री हर्षवर्धन शर्मा अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

3.2. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के अनुसार फर्म के भागीदारों में परिवर्तन और भागीदारों के लाभ और हानि साझाकरण अनुपात पर ध्यान दिया। यह कार्यसूची नोट में टिप्पणियों के अनुसार दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन है। अनुमोदन समिति ने आंकड़ा (ईएम डिवीजन), नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) को नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार भागीदारों के लाभ और हानि साझाकरण अनुपात में परिवर्तन के संबंध में हस्तांतरण शुल्क लगाने के मामले की जांच करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, समिति ने प्रस्तावित अधिकृत संचालन करने के लिए पांच साल के मौजूदा ब्लॉक यानी 31/03/2026 तक की छोटी अवधि के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण किया। अनुमोदन समिति ने परियोजना अनुभाग को दिसंबर, 2025 में इकाई द्वारा गतिविधियों को फिर से शुरू करने की निगरानी के लिए मामला रखने का भी निर्देश दिया।

(4) प्रॉम्प्ट इंटरनेशनल लिमिटेड - प्रदर्शन की निगरानी और स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण।

4.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री एल एस रूपराय, निदेशक और श्री सुखबीर सिंह, निदेशक (विपणन) अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

4.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मेसर्स प्रॉम्प्ट इंटरनेशनल लिमिटेड के स्वीकृति पत्र (LOA) को एक वर्ष की छोटी अवधि यानी 23/06/2026

सुरेंद्र मलिक

तक के लिए नवीनीकृत किया, जिसका उद्देश्य अधिकृत संचालनों के लिए है, अर्थात् “(i) सूती वस्त्र (61142000) (100000 संख्या/वर्ष); (ii) डेनिम वस्त्र (62034290, 62046290) (100000 संख्या/वर्ष); और सेवा गतिविधियाँ अर्थात् अन्य आंकड़ा संसाधन सेवाएँ (ई-कॉमर्स साइट पर उत्पाद आंकड़ा का अद्यतन) (सीपीसी-8439)”। अनुमोदन समिति ने, नए व्यवसाय में प्रवेश के संदर्भ में अपनी विशेषज्ञता को स्पष्ट करने में इकाई की असमर्थता और किसी ठोस व्यवसाय योजना के अभाव में, अतिरिक्त अधिकृत संचालन यानी विश्वव्यापी स्थिति निर्धारण प्रणाली (GPS) उपकरण (85269190) का विनिर्माण को मंजूरी नहीं दी।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त

ए. बिपिन मेनन

(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त